



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3518]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941

No. 3518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3897(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2528(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) सभी ब्रांड और स्टार लेबलयुक्त रूम एयर कंडीशनर की किस्म अर्थात् मल्टी-स्टेज कैपेसिटी एयर कंडीशनर, एकल एयर कंडीशनर और स्पलिट एयर कंडीशनर, जो एक स्टार से पांच स्टार तक रेटेड हैं, को उनकी सापेक्ष ऊर्जा दक्षता के आधार पर, भारत में विनिर्मित वाणिज्यिक तौर पर खरीदे या बेचे गए और 10,465 वॉट्स (9,000 किलो कैलोरी/घंटा) तक की रेटेड कूलिंग क्षमता की 01 जनवरी, 2020 से चौबीस डिग्री सेल्सियस पर रूम एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ्रॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित करेगा।";

(ख) पैरा 3 में, -

(I) उप-पैरा (1) में, -

(i) सारणी 3.1 में क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5.	1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक	(ड.)
6.	1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक	(च)";

- (ii) सारणी 3.2 में क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“5.	1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक	(ड.)
6.	1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक	(च)”;

- (iii) सारणी 3.1(ड.) और सारणी 3.2(ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सारणी 3.1(ड.)

(1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (कि.वाॅट घंटा/ कि.वाॅट घंटा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.5	2.69
2 स्टार	2.7	2.89
3 स्टार	2.9	3.09
4 स्टार	3.1	3.29
5 स्टार	3.3	

सारणी 3.2(ड.)

(1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (कि.वाॅट घंटा / कि.वाॅट घंटा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	3.1	3.29
2 स्टार	3.3	3.49
3 स्टार	3.5	3.99
4 स्टार	4.0	4.49
5 स्टार	4.5	

सारणी 3.1(च)

(1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (कि.वाॅट घंटा/ कि.वाॅट घंटा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.7	2.89
2 स्टार	2.9	3.09
3 स्टार	3.1	3.29
4 स्टार	3.3	3.49
5 स्टार	3.5	

सारणी 3.2(च)

(1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (कि.वाॅट घंटा/ कि.वाॅट घंटा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	3.3	3.49
2 स्टार	3.5	3.79
3 स्टार	3.8	4.39
4 स्टार	4.4	4.99
5 स्टार	5.0”;	

- (II) उप-पैरा (3) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) सारणी 3.1(च) में विनिर्दिष्ट एकल एयर कंडीशनर के 1 स्टार (ईईआर 2.50 - 2.69) की 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2017 तक और सारणी 3.1(ड.) में विनिर्दिष्ट एकल एयर कंडीशनर के 1 स्टार (ईईआर 2.50 - 2.69) की 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक उक्त एयर कंडीशनरों के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयोजन से अनुमति नहीं दी जाएगी।”

(ग) पैरा 4 में, -

(I) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) परीक्षण के लिए पैरामीटर बिजली की खपत और कूलिंग क्षमता के परीक्षण होंगे और इनका अधिकतम परिचालन, पस्थितियों के परीक्षण, कूलिंग के लिए बिजली की खपत के परीक्षण और एकल एयर कंडीशनर के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 1) के संगत खंडों के अनुसार क्षमता रेटिंग परीक्षण द्वारा और स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 2) द्वारा शासित होंगे, तथा एयर कंडीशनर मॉडल के लिए स्टार लेबल प्रदान करने के उद्देश्य से, निर्माता को समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक 1391 के अनुसार कूलिंग क्षमता, बिजली की खपत और अधिकतम परिचालन परीक्षणों के लिए परीक्षण किए गए उक्त मॉडल की दो यूनितें मिलेंगी।”

(घ) उपाबंध-क में, पैरा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"7. 24 डिग्री सेल्सियस पर रूम एयर कंडीशनर की डिफ़ॉल्ट तापमान सेटिंग? हाँ/नहीं।"

[सं. 10/6/2019-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2528(अ), तारीख 08 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2019

S.O. 3897(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2528(E), dated the 8th August, 2017, namely:—

In the said notification, -

(a) in paragraph 1, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) All brands and types of star labelled room air conditioners, namely, Multi-Stage Capacity Air Conditioners, Unitary Air Conditioner and Split Air Conditioner which are rated from one star to five star, based on their relative energy efficiencies up to a rated cooling capacity of 10,465 Watts (9,000 kcal/hour) and manufactured, commercially purchased or sold in India, shall ensure default setting of temperature in the room air conditioners at twenty-four degree celsius with effect from the 1st January 2020.”;

(b) in paragraph 3,-

(I) in sub-paragraph (1),-

(i) in Table 3.1, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“5.	From 1 st January, 2018 to 31 st December, 2020	(e)
6.	From 1 st January, 2021 to 31 st December, 2023	(f)”;

(ii) in Table 3.2, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“5.	From 1 st January, 2018 to 31 st December, 2020	(e)
6.	From 1 st January, 2021 to 31 st December, 2023	(f)”;

(iii) for Table 3.1(e) and Table 3.2(e), the following shall be substituted, namely:-

“Table 3.1(e)

(From 1st January, 2018 to 31st December, 2020)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.5	2.69
2 Star	2.7	2.89
3 Star	2.9	3.09
4 Star	3.1	3.29
5 Star	3.3	

Table 3.2(e)

(From 1st January, 2018 to 31st December, 2020)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	3.1	3.29
2 Star	3.3	3.49
3 Star	3.5	3.99
4 Star	4.0	4.49
5 Star	4.5	

Table 3.1(f)

(From 1st January, 2021 to 31st December, 2023)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.7	2.89
2 Star	2.9	3.09
3 Star	3.1	3.29
4 Star	3.3	3.49
5 Star	3.5	

Table 3.2(f)

(From 1st January, 2021 to 31st December, 2023)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	3.3	3.49
2 Star	3.5	3.79
3 Star	3.8	4.39
4 Star	4.4	4.99
5 Star	5.0”;	

(II) in sub-paragraph (3) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) 1 star (EER 2.50 – 2.69) of Unitary Air Conditioners specified in Table 3.1(d) shall not be permitted from 1st January, 2016 to 31st December, 2017 and 1 star (EER 2.50 – 2.69) of Unitary Air Conditioners specified in Table 3.1(e) shall not be permitted from 1st January, 2018 to 31st December, 2020, for the purpose of upgrading the minimum energy performance level of such air conditioners.”;

(c) in paragraph 4,-

(I) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) The parameters for testing shall be power consumption and cooling capacity test and shall be governed by maximum operating conditions test, power consumption test for cooling and the capacity rating test as per relevant clauses of Indian Standard 1391(Part 1) for Unitary Air Conditioners and Indian Standard 1391 (Part 2) for split air conditioners and for the purpose of seeking grant of star label for air conditioner model, a manufacturer shall get two units of the said model tested for cooling capacity, power consumption and maximum operating tests in accordance with Indian Standard 1391 as amended from time to time.”

(d) in Annexure- A, after paragraph (6), the following paragraph shall be inserted, namely:-

“7. Default temperature setting of the room air conditioner at 24 degree celsius? Yes/No”.

[No. 10/6/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2528(E), dated the 8th August 2017.